संख्या-373/2025/1458/22-2-2024-17(396)/2024

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 29 अप्रैल, 2025

विषय:-केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी निहालुद्दीन पुत्र श्री अनवर, निवासी जनपद-बदायूं की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-27468/प्रोबे0-5-दया0बैठक-03-09-2024, दिनांक 09.09.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार निहालुउद्दीन पुत्र श्री अनवर, जलेबी नगला, थाना-हजरतपुर, जनपद -बदायूँ का निवासी है। बन्दी द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 14.07.1990 को 22 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, तमचा व लाठी से मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-545/1992 भा0द0वि0 की धारा-307/149, 364/149, 302/149, 147 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-06, शाहजहाँपुर के दण्डादेश दिनांक 05.04.2013 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.05.2024 तक अपरिहार 11 वर्ष, 01 माह, 23 दिन तथा सपरिहार 14 वर्ष, 06 माह, 10 दिन की सजा भोगी गयी है।

दयायाचिका समिति की आख्या में उल्लिखित किया गया है कि बन्दी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति (04 व्यक्तियों की हत्या) तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट बदायूं द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी निहालुद्दीन (बन्दी संख्या-48075) पुत्र श्री अनवर, निवासी जनपद-बदायूं की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-373/2025/1458(1)/22-2-2024-17(396)/2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

3- नोडल अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक केन्द्रीय कारागार नैनी प्रयागराज को मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित क्रिमिनल अपील सं0-2001/2013 श्री कृष्णा व अन्य बनाम उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक-24-07-2024 के सन्दर्भ में।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।